भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
ल खत प्रश्न सं. 622
गुरूवार, 21 जुलाई, 2022/30 आषाढ़, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

प्रमा णत और प्र श क्षत पर्यटन प्रमोटर

622. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमारः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

**(क)** क्या सरकार के पास देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लए प्र श क्षत/प्रमा णत पर्यटन सु वधाप्रदाताओं का पूल है;

**(ख)** यदि हाँ, तो देश भर में राज्य-वार प्र श क्षत/प्रमा णत प्रमोटर का ब्यौरा क्या है;

**(ग)** क्या घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लए प्र श क्षति/प्रमा णत पर्यटन सु वधाप्रदाताओं की मौजूदा संख्या प्रर्याप्त है;

**(घ)** यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

**(ङ)** यदि नहीं, तो पूरे देश में प्रमा णत/प्र श क्षत पर्यटन प्रमोटरों के पूल को बढ़ाने के लए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. कशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटक सु वधाप्रदाता प्रमाणन (आईआईटीएफसी) कार्यक्रम नामक डजिटल पहल की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य देशभर में सुप्र श क्षत तथा पेशेवर पर्यटक सु वधाप्रदाताओं का एक समूह तैयार करना है। यह डजिटल पहल अभ्य थर्यों के लए मूलभूत, उच्च ( वरासत तथा साह सक), मौ खक भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लए आईआईटीएफसी कार्यक्रम के तहत एक ऑनलाइन शक्षण प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लए 01.01.2020 को शुरू की गई थी।

(ख): देश भर में प्र श क्षत/प्रमा णत पर्यटक सु वधा प्रदाताओं की राज्य-वार स्थिति अनुबंध में देखी जा सकती है।

(ग) से (ङ): ऐसा कोई बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण नहीं कया गया है।

*******

अनुबंध

प्रमा णत और प्र श क्षत पर्यटन प्रमोटर के सम्बन्ध में दिनांक 21.07.2022 के राज्य सभा के ल खत प्रश्न सं. 622 के भाग (ख) के उत्तर में ववरण

समग्र स्थिति-पूर्ण गणना:

| | |
|---|---|
| समग्र स्थिति पूर्ण गणना | **2561** |

समग्र स्थिति की राज्य-वार गणना- पूर्ण

| क्र. सं. | राज्य कोड | राज्य का नाम | उपयोगकर्ताओं की गणना |
|---|---|---|---|
| **1.** | एएन | अंडमान और निकोबार | **2** |
| **2.** | एपी | आंध्र प्रदेश | **4** |
| **3.** | एआर | अरुणाचल प्रदेश | **1** |
| **4.** | एएस | असम | **10** |
| **5.** | बीआर | बिहार | **44** |
| **6.** | सीएच | चंडीगढ़ | **1** |
| **7.** | सीटी | छत्तीसगढ़ | **1** |
| **8.** | डीएल | दिल्ली | **214** |
| **9.** | जीए | गोवा | **1** |
| **10.** | जीजे | गुजरात | **15** |
| **11.** | एचपी | हिमाचल प्रदेश | **7** |
| **12.** | एचआर | हरियाणा | **28** |
| **13.** | जेएच | झारखंड | **1** |
| **14.** | जेके | जम्मू और कश्मीर | **2** |
| **15.** | केए | कर्नाटक | **28** |
| **16.** | केएल | केरल | **70** |
| **17.** | एलडी | लक्षद्वीप | **1** |
| **18.** | एलईएच | लेह, लद्दाख | **0** |
| **19.** | एमएच | महाराष्ट्र | **90** |
| **20.** | एमएल | मेघालय | **1** |
| **21.** | एमएन | म णपुर | **0** |
| **22.** | एमपी | मध्य प्रदेश | **133** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **23.** | एमजेड | मजोरम | **0** |
| **24.** | एनएल | नागालैंड | **0** |
| **25.** | ओआर | ओ डशा | **9** |
| **26.** | पीबी | पंजाब | **3** |
| **27.** | पीवाई | पुडुचेरी | **5** |
| **28.** | आरजे | राजस्थान | **1160** |
| **29.** | एसके | सक्किम | **0** |
| **30.** | टीएन | त मलनाडु | **29** |
| **31.** | टीआर | त्रिपुरा | **0** |
| **32.** | टीएस | तेलंगाना | **6** |
| **33.** | यूके | उत्तराखंड | **9** |
| **34.** | यूपी | उत्तर प्रदेश | **643** |
| **35.** | डब्ल्यूबी | पश्चिम बंगाल | **43** |
| | | कुल | **2561** |

*******